जिला– धनबाद

न्यायालय, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, धनबाद।

उपस्थित,

श्री विवेक राज ,

न्यायिक दण्डाधिकारी,प्रथम श्रेणी,धनबाद

धनबाद, दिनांक 13वी, अगस्त, 2024

संदर्भः– जी0 आर0 केस सं0–1056/2007

राज्य .... द्वारा...विनोद रवानी, उम्र लगभग–40 वर्ष,
पिता–स्व0 हरि रवानी, सा0–बरमसिया, थाना–धनसार,
जिला–धनबाद ....**सूचक/अभियोजन**।

बनाम्

1. गुड्डू कुरैशी, आयु–44 वर्ष, पिता–अब्दुल लतीफ,
2. रितिक उर्फ अतीक कुरैशी, आयु–35 वर्ष, पिता–अब्दुल लतीफ कुरैशी

दोनों साकिन–वासेपुर, थाना–बैंक मोड़, पोस्ट–धनबाद,
जिला– धनबाद..**अभियुक्तगण**।

धनबाद बैंकमोड़ थाना कांड सं0 250/2007

आरोप अंतर्गत धारा –341,323,379,504,34 भा.द.वि.

अभियोजन की ओर से–.. विद्वान स0लो0अभि0।
बचाव पक्ष की ओर से –.. 1. श्री पी.के भट्टाचार्य, विद्वान अधिवक्ता।
2. श्री राजीव रंजन, विद्वान अधिवक्ता।

निर्णय

1. उक्त मामले में उपरोक्त नामित अभियुक्तों का विचारण **धारा–341,323,379,504,34 भा.द.वि.** के अंतर्गत अपराध के लिए किया गया है।

2. प्राथमिकी के लिखित प्रतिवेदन के अनुसार घटना संक्षेप में यह है कि दिनांक 07.04.2007 को लगभग 07:00 बजे सूचक अपने निवास स्थान डायमंड कॉसिंग से सब्जी मंडी पुराना बाजार आने के क्रम में रेलवे लाईन के समीप दो व्यक्तियों द्वारा जिसका नाम रीतिक, गुड्डू है, ने

रोक कर कॉलर पकड़ कर गला दबाते हुए बोला कि साला हमको पहचानता नहीं है, पटककर जान मार देंगें, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। उसके बाद मारपीट करने लगे एवं उसे पटककर पॉकेट से कुछ रूपया एवं कागजात निकाल लिया एवं बोले कि जाव जो करना है कर लेना। सूचक उस वक्त राशन दुकान के समीप था। जिस दुकानदार का नाम है, विरमणी, क्रॉसिंग लाईन किनारे स्थित है। मारपीट के क्रम में राहगीर भी भीड़ जुटता देख दोनों हमलावर गाली गलौज करते हुए फरार हो गये। तब सूचक के द्वारा यह प्राथमिकी दर्ज करवायी गयी। उक्त मामला सूचक के लिखित आवेदन के आधार पर धनबाद बैंक मोड़ थाना कांड सं0 250/2007, दिनांक 07.04.2007 के रूप में धारा –**341,323,379,504 भा0द0वि0** के अंतर्गत संस्थित हुआ। अन्वेषण के पश्चात् मामले को सत्य पाते हुये उपरोक्त नामित अभियुक्तों के विरूद्ध धारा – **341,323,504,379,34 भा0द0वि0** के अंतर्गत आरोप पत्र समर्पित किया गया तथा अभियुक्तों के विरूद्ध धारा **341,323,379,504,34 भा0द0वि0** के अंतर्गत संज्ञान लिया गया । वाद को न्यायालय के विचारण पंजीका में विचारण एवं निष्पादन हेतु पंजीबद्ध किया गया।

3. दिनांक 13.02.2008 को मामले में अभियुक्तों के विरूद्ध **भा0द0वि0 की धारा 341,323,379,504,34** के अंतर्गत आरोप का गठन को हिन्दी में पढ़ कर सुनाया एवं समझाया गया, जिससे अभियुक्तों ने इन्कार करते हुये विचारण किये जाने का दावा किया ।

4. विचारण के दौरान ही उभयपक्षों की ओर से एक संयुक्त सुलहनामा आवेदन दाखिल किया गया है तथा उभयपक्षों की ओर से अनुरोध किया गया कि सुलह के आधार पर वाद को निष्पादित कर दिया जाए।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से कुल चार साक्षियों को साक्ष्य हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियोजन पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी और कोई साक्षियों का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 07.08.2024 को अभियोजन साक्ष्य बंद किया गया तथा दिनांक 13.08.2024 को ही अभियुक्तों का बयान **द.प्र.स. की धारा 313** के अंतर्गत अभिलिखित किया गया, जिसमें अभियुक्तों ने घटना से इन्कार करते हुये स्वयं को निर्दोष होने का अभिकथन किया है।

6. बचाव पक्ष की ओर से अपने बचाव में किसी प्रतिरक्षा साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है और न ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है।

7. बहस के दौरान विद्वान स0लो0 अभि0 तर्क करते हैं कि इस वाद में उभयपक्षों ने आपस में संधि कर लिया है। अतः संधि के आलोक में वाद को निष्पादित किया जाए।

8. दूसरी तरफ बहस के दौरान बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता तर्क करते हैं कि अभियुक्तगण पूर्णत्या निर्दोष है। अभियुक्तों के साथ सूचक का राजी खुशी से सुलह हो गया है। उनके बीच अब अच्छा संबंध स्थापित हो गया है। अभियुक्तों से उसका सुलह हो गया है और आज न्यायालय में सुलहनामा आवेदन भी दाखिल किया हे, जिस पर स्वेच्छा से अपना हस्ताक्षर किया है। वह अब आगे केस लड़ना नहीं चाहता है और ना ही गवाही देना चाहता है। उनके बीच सिर्फ हल्का फुल्का तु–तु, मैं–मैं हुआ था। उसके पॉके से कोई पैसा नहीं निकाला गया था। सुलह के आधार पर केस खत्म किये जाने पर उसे कोई आपित्त नहीं है। अतः साक्ष्य के अभाव एवं समझौता के आधार पर अभियुक्तों को उपरोक्त धारा– **341,323,379,504,34 भा0द0वि0** के आरोप से दोषमुक्त किया जाय।

9. अब इस मामले में मेरे समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को सभी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहे हैं या नहीं?

<u>मंतव्य</u>

10. उभयपक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि इस वाद में अभियोजन की ओर से मात्र चार अभियोजन साक्षियों को साक्ष्य हेतु प्रस्तुत किया गया है। जिसमें **अभियोजन साक्षी संख्या 01 भगवान दास साव, अभियोजन साक्षी संख्या 02 धनराज सिंह** एवं **अभियोजन साक्षी संख्या 03 वीरमनी सिंह,** ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन करती है कि उसके घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस में उसका बयान नहीं हुआ था। तत्पश्चात् अभियोजन ने उक्त साक्षियों को पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया।

अभियोजन साक्षी संख्या 04 विनोद रवानी, जो इस वाद के सूचक है, ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि यह केस उसने गुड्डू कुरैशी, रीतिक कुरैशी पर किया है। घ टना वर्ष 2007 की है। गुड्डू कुरैशी, रीतिक कुरैशी के साथ्ज्ञ लड़ाई झगड़ा एवं गाली गलौज हुआ था। जिसको लेकर वह अभियुक्तों के विरूद्ध केस कर दिया था। लिखित आवेदन उसके

कहने पर लिखा गया था, जिस पर उसका हस्ताक्षर है, पहचानता है। जिसे **प्रदर्श–पी01/पी. डब्लू04** अंकित किया गया।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता प्रतिपरीक्षण करते हुए कथन करते है कि अभियुक्तों के साथ उसका राजी खुशी से सुलह हो गया है। उनके बीच अब अच्छा संबंध स्थापित हो गया है। अभियुक्तों से उसका सुलह हो गया है और आज न्यायालय में सुलहनामा आवेदन भी दाखिल किया है, जिस पर स्वेच्छा से अपना हस्ताक्षर किया है। वह अब आगे केस लड़ना नहीं चाहता है और ना ही गवाही देना चाहता है। उनके बीच सिर्फ हल्का फुल्का तु तु मैं मैं हुआ था। सुलह के आधार पर केस खत्म किये जाने पर उसे कोई आपत्ति नहीं है। उसके पॉकेट से कोई पैसा नहीं निकाला गया था।

11. अभिलेख एवं अभियोजन साक्षियों के बयान का अवालोकन किया। जिससें यह दर्शित होता है कि अभियोजन साक्षी 01, अभियोजन साक्षी संख्या 02 एवं अभियोजन साक्षी संख्या 03 ने अपने बयान में कथन किया है कि उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस में उसका बयान नहीं हुआ था, तत्पश्चात् अभियोजन पक्ष ने उक्त साक्षी को पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया। इसके उपरांत अभियोजन साक्षी संख्या 04 जो इस वाद के सूचक है, ने अपने बयान में कथन किया है कि अभियुक्तों के साथ उसका राजी खुशी से सुलह हो गया है। उनके बीच अब अच्छा संबंध स्थापित हो गया है। अभियुक्तों से उसका सुलह हो गया है और आज न्यायालय में सुलहनामा आवेदन भी दाखिल किया है, जिस पर स्वेच्छा से अपना हस्ताक्षर किया है। वह अब आगे केस लड़ना नहीं चाहता है और ना ही गवाही देना चाहता है। उनके बीच सिर्फ हल्का फुल्का तु तु मैं मैं हुआ था। सुलह के आधार पर केस खत्म किये जाने पर उसे कोई आपत्ति नहीं है। उसके पॉकेट से कोई पैसा नहीं निकाला गया था।

इस प्रकार अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षियों ने अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपित धारा – **341,323,379,504,34 भा0द0वि0** को प्रमाणित करने में असफल रहा है। अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप को अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहे है, अतः अभियुक्तों के विरूद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा– **341,323,379,504,34 भा0द0वि0** के आरोप से साक्ष्य के अभाव एवं सुलह के आधार पर दोषमुक्ति के अधिकारी है। तद्नुसार निम्न आदेश पारित किया जाता हैः–

आदेश

उपरोक्त निष्कर्ष के आलोक में अभियुक्त **1. गुड्डू कुरैशी एवं 2. रितिक उर्फ अतीक कुरैशी** को **भा0द0वि0 की धारा** – **341,323,379,504,34** के आरोप से सुलह एवं साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर है, अतः उन्हें व उनके जमानतदारों को बंध पत्र के दायित्वों से उन्मुक्त किया जाता है।

ह0/–
(**विवेक राज**)
न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, धनबाद।
दिनांक 13.08.2024
जे0ओ0 कोड– जे.एच.02079

{ यह निर्णय मेरे द्वारा लेखापित ,शुद्धित,दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया }

ह0/–
(**विवेक राज**)
न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, धनबाद।
दिनांक 13.08.2024
जे0ओ0 कोड– जे.एच.02079